

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जायं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)
- CF, 2/24/92 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

दिनांक 6/7/21

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

सरकारी मोहर

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow